कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड कासगंज

पत्रांक /नकूखका /नीलामी/2018-19/ दिनांक- / /2018

नीलामी नोटिस संख्या-01/2018-19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नलकूप खण्ड कासगंज में उपलब्ध निम्नलिखित निष्प्रयोज्य सामिग्री की नीलामी दिनांक 24.10.2018 को समय पूर्वान्ह 11 वजे खण्ड की केन्दीय कार्यशाला एवं भण्डार नलकूप उपखण्ड प्रथम कासगंज में समिति द्वारा की जायेगी। निष्प्रयोज्य सामिग्री की निम्नांनुसार अलग अलग लॉट में नीलामी की जायेगी जिसकी बोली दाता द्वारा अलग अलग बोली लगायी जायेगी।

क सं	लाट सं	निष्प्रयोज्य सामिग्री का नाम	यूनिट	मात्रा	धरोहर धनराशि
1	1	जला हुआ पी.वी.सी कोटेड तांवे का तार	मी0टन	1.5	50000.00 (पचास हजार रु0मात्र)

शर्ते।

1-उपरोक्त सामान की नीलामी लॉट वार की जायेगी। धरोहर राशि लाट वार इच्छित व्यक्ति/फार्म द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक 23.10.2018 समय तीन वजे दोपहर तक बैंक ड्राफट जो कि अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड कासगंज के पक्ष में होगी, जिसे कैशियर के पास जमा करना होगा।

2-उच्चतम बोली दाता को बोली की 25 प्रतिशत नकद धनराशि नीलामी के समाप्त होते ही कैशियर के पास जमा करनी होगी।

3-किसी भी बोली या समस्त बोलियों को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति नलकूप खण्ड कासगंज का होगा।

4-सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ही उच्चतम बोली की पूर्ण धनराशि जमा कराकर सामिग्री दी जायेगी।

5-विवादित प्रकरण न्यायालय कासगंज में ही निपटाये जायेंगें।

6-विना जमानत राशि जमा कराये कोई भी व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग नही लेगा।

7-उच्चतम बोली दाता द्वारा उच्चतम बोली धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि सम्मिलित करते हुए)जमा न करने पर उनके द्वारा जमा धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

9-नीलामी की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।

10-स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उसमें दी हुयी समयावधि अन्दर वोली दाता का सामिग्री को उठाना अनिवार्य होगा।

11- समयाबधि मे सामग्री न उठाने की दशा मे अगर सामग्री को कोई क्षति होती है तो बोली दाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

12- फर्म अथवा बोली दाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगा इस के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नीलामी परिसर मे प्रवेश नही करेगा।

13- नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्ते नीलामी से पूर्व पढकर सुनायी जायेगी।

14- निर्धारित शर्तो का बोलीदाता को पालन करना अनिवार्य होगा।

15- अन्य शर्ते नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस मे आकर इस कार्यालय मे देखी जा सकती है।

16- फर्म/बोलीदाता के पास टिन नम्बर/जी0एस0टी0न0 होना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति धरोहर धनराशि के साथ जमा करना अनिवार्य है अन्यथा स्थिति में नीलामी मे भाग नही ले सकेगा।

17- अन्यथा की स्थिति उत्पन्न होने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

18- विना कारण वताये नीलामी निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

19- किसी भी कार्य दिवस मे उपखण्ड प्रथम मे सामिग्री सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सम्पर्क स्थापित कर देखी जा सकती है।

5/9/18

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड कासगंज।